

कार्यालय नगर विकास न्यास, अगवर

क्रमांक/एक-2/आयोजना/ 2128/19

दिनांक:- २२.०९.१७

सैर्स नमन श्री गोविन्दम रियल स्टेट प्रा.लि.,

सैर्स वाटसोनिया इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.,

श्री देवी हिल्ता बेरी पुत्र स्व० श्री राम रखन बेरी

जयें निर्देशक श्री राजेश कुमार यादव

8ए, गोविन्दी हाउस, कानोता बाग,

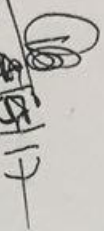
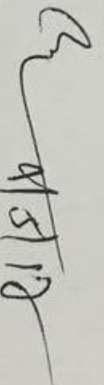
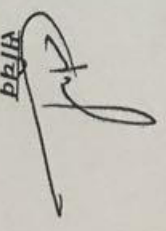
तख्तशाही रोडी, जयपुर राजस्थान-302001

विषय :- खसरा नंबर 1381, 1395, 1398, 1405, 1405/2364, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1430, 1432, 1433, 2075, 1386, 1397, 1400, 1404, 1379, 1380, 1382, 1383, 1383/2524, 1384, 1385, 1387, 1388, 1388/2517, 1401, 1401/2519, 1402, 1402/2520, 1403, 1403/2518, 1394/2521, 1395/2525, 1395/2526, 1398/2522, 1398/2523, 1399, 2083, 2098, 2099, 2100, 2079, 2080, 2081, 2082, 2101 ग्राम चिकानी तह० व जिला अलवर की भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खसरा नंबर 1381, 1395, 1398, 1405, 1405/2364, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1430, 1432, 1433, 2075, 1386, 1397, 1400, 1404, 1379, 1380, 1382, 1383, 1383/2524, 1384, 1385, 1387, 1388, 1388/2517, 1401, 1401/2519, 1402, 1402/2520, 1403, 1403/2518, 1394/2521, 1395/2525, 1395/2526, 1398/2522, 1398/2523, 1399, 2083, 2098, 2099, 2100, 2079, 2080, 2081, 2082, 2101 ग्राम चिकानी तह० व जिला अलवर की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 28.04.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों पर भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

01. प्रकरण मुख्यमंत्री जन आवास योजना का है प्रोजेक्शनल भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 28.02.2017 को जारी की जा चुकी है। तथा न्यास द्वारा गृह हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किया गया है।
02. प्रथम चरण में जीन+1 मंजिल की भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जावे। तथा शेष उपरी मंजिलों की मौके से निर्माण का सत्यापन होने के पश्चात जारी की जावे।
03. मौके पर निर्माण स्वीकृत मानियत्रों के अनुसार करना होगा।
04. प्रचलित भवन विनियम/मुख्यमंत्री जन आवास की पॅलिसी में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
05. प्रचलित विनियमों व प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान रखना होगा।

07. नियमानुसार समस्त देय शुल्क हो तो जमा कसाये जावे।
08. नियमानुसार वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण करना होगा।
09. नियमानुसार फायर फाईटिंग हेतु प्रावधान रखना होगा तथा नियमानुसार फायर एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
10. भूखण्ड के मध्य एच.टी. लाईन गुजर रही है। नियमानुसार सुरक्षा दूरी छोड़नी होगी।
11. नियमानुसार अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
12. आवासो का निर्माण भूकम्प रोधी करना होगा। तथा समय-समय पर ब्लॉक टेस्टिंग करानी होगी, स्ट्रैक्चर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. नियमानुसार प्रदूषण विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।
14. निर्माणाधीन ईमारतो से निकलने वाले मलबे एवं निर्माण सामग्री का वहन बिना ढके नही किया जावे। अतः निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री ढकी होने का स्वीकृति पत्र में अंकन किया जावे।

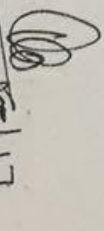
		
उप नगर निर्वाहक	अधिशाषी अभियन्ता	साचिव
नगर विकास न्यास, अलवर	नगर विकास न्यास, अलवर	नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक/एफ-2/आयोजना/

दिनांक:-

प्रतिलिपि : -

01. अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास अलवर।



उप नगर निर्वाहक
(सदस्य साचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर